संख्या- 09/2020/328/एक-5-2020-12/2015-टी0सी0

प्रेषक,

राम सुमेर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ ::दिनांक 13 जुलाई, 2020**

विषय- जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अवशेष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2924/12(भवन)-43/2012 (2) दिनांक 24 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या -920/एक-5-2015-12/2015, दिनांक 07 जुलाई, 2015 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 1040.94 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-1627/एक-5-2016-12/2015, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 416.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-3055/एक-5-2017-12/2015, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 172.84 लाख अर्थात मानकीकृत लागत रू0 1040.94 लाख के सापेक्ष रू0 988.84 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त धनराशि से कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 1774.17 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 1774.17 लाख की 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 88.70 लाख को रोकते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 696.63 लाख शासनादेश संख्या-412/एक-5-2018-12/2015 टी0सी0 दिनांक 06 सितम्बर, 2018 द्वारा अवमुक्त की गयी थी।

3- उक्त के क्रम में जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मिट्टी भराई के लिए आंकलित लागत रू0 142.28 लाख को सम्मिलित करते हुये कुल पुनरीक्षित लागत रू0 1916.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 95.82 लाख को रोकते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 135.16 लाख (रू0 एक करोड़ पैतीस लाख सोलह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुन: कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ् करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) तहसीलों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु मानकीकरण विषयक शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-3 के अनुसार निर्माण करते समय निर्धारित स्पेसीफिकेशन में परिवर्तन अथवा वित्तीय अनुमोदन के अतिरिक्ति निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा यदि बिना शासन की पूर्वानुमति से कराया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/संस्थाओं का होगा।

(11) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्यार-ई-5-985/दस-2020, दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राम सुमेर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 09/2020/328(1)/एक-5-2020-12/2015-टी0सी0:: तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, हापुड़ ।
7- प्रबन्धा निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
8- राजस्व अनुभाग-6
9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

सत्य प्रकाश
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।